भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 154
दिनांक 29.01.2026 को उत्तर के लिए नियत

पीएमईजीपी का कार्यान्वयन

154. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से मुंबई में इसके कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान मुंबई में स्वीकृत पीएमईजीपी परियोजनाओं, जारी की गई राजसहायता और सृजित रोजगार की क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या मुंबई में युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और पहली पीढ़ी के उद्यमियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) शहर में पीएमईजीपी के अंतर्गत बैंक ऋण संयोजन, प्रक्रियात्मक विलंब को कम करने और समय पर राजसहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या मुंबई में पीएमईजीपी के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति के पश्चात् कौशल प्रशिक्षण, सलाह और बाजार संपर्क जैसी सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) शहरी रोजगार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास लक्ष्यों के अनुरूप मुंबई में पीएमईजीपी-समर्थित सूक्ष्म उद्यमों के कार्यान्वयन, निगरानी और स्थायित्व को और सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): एमएसएमई मंत्रालय मुंबई सहित पूरे देश में पीएमईजीपी के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केवीआईसी और केवीआईसी के राज्य कार्यालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), राज्य जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और वित्तीय संस्थानों सहित अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। इसके अलावा, पीएमईजीपी के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा स्व-रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी), जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) और विभिन्न स्तरों पर बैंकर्स की बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जाती हैं।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान मुंबई में संस्वीकृत पीएमईजीपी परियोजनाओं, संवितरित एमएम सब्सिडी और सृजित अनुमानित रोजगार की क्षेत्र-वार संख्या नीचे दी गई है:

वित्त वर्ष	विनिर्माण क्षेत्र			सेवा क्षेत्र		
	संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	संवितरित एमएस सब्सिडी (लाख रुपए में)	अनुमानित सृजित रोजगार	संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	संवितरित एमएस सब्सिडी (लाख रुपए में)	अनुमानित सृजित रोजगार
2020-21	8	29.92	64	8	11.16	64
2021-22	22	90.51	176	5	8.03	40
2022-23	32	131.61	256	2	2.78	16
2023-24	46	161.23	368	11	32.75	88
2024-25	14	95.14	112	17	43.70	136
कुल	**122**	**508.41**	**976**	**43**	**98.42**	**344**

(ग) से (च): मुंबई सहित पूरे देश में लाभार्थियों को पीएमईजीपी के अंतर्गत पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित करने, बैंक ऋण लिंकेज को सुव्यवस्थित करने, प्रक्रियात्मक विलंब को कम करने, समय पर सब्सिडी और अनुमोदन के बाद सहायता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

i) युवाओं, महिलाओं, एससी/एसटी और अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान देने के साथ वंचित और कम प्रदर्शन वाले क्षेत्र, आकांक्षी जिले, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, वेबिनार और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। मुंबई में युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अन्य पहली पीढ़ी के उद्यमियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 7 और 9 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ii) पीएमईजीपी को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री और वीडियो क्लिप का प्रसार करना।

iii) उच्च सब्सिडी के लिए पात्र विशेष श्रेणी के अंतर्गत आकांक्षी जिलों के आवेदकों और ट्रांसजेंडरों को शामिल करना।

iv) भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का संचालन।

v) हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर 19 क्षेत्रीय भाषाओं में लाभार्थियों से वास्तविक रूप में पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार करना।

vi) विभिन्न उद्योगों पर 1,000 से अधिक मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की गई है और पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

vii) आवेदनों की गुणवत्ता बढ़ाने और अस्वीकृतियों को कम करने हेतु, तकनीकी विशेषज्ञों और बैंक अधिकारियों (सेवानिवृत्त) को आवेदन चरण के दौरान भावी पीएमईजीपी लाभार्थियों को पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है।

viii) प्रक्रियात्मक विलंब को कम करने और बैंक क्रेडिट लिंकेज को सुव्यवस्थित करने के लिए नियमित आधार पर विभिन्न स्तरों पर बैंकर्स की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ix) 10 लाख तक के ऋण वाली परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा किसी संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाता है। बैंकर्स की बैठकों और सभी प्रमुख बैंकों को लिखित पत्राचार के माध्यम से इस प्रावधान के कड़ाई से अनुपालन पर जोर दिया गया है।

x) वर्तमान में, ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए सभी पीएसबी, निजी बैंकों और सहकारी बैंकों सहित 100 से अधिक बैंकों को वित्तपोषक बैंकों के रूप में पीएमईजीपी पोर्टल पर शामिल किया गया है।

xi) केवीआईसी के बिक्री केंद्रों के माध्यम से पूरे देश में पीएमईजीपी इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों को विपणन सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, पीएमईजीपी लाभार्थियों की भागीदारी के लिए नियमित रूप से प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

xii) वैश्विक स्तर पर उत्पादों की बिक्री करने के लिए डिजिटल बाजार उपलब्ध कराने और पीएमईजीपी इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों सहित खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल (https://www.ekhadiindia.com) विकसित किया गया है।
